

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 11, 2016
(VYSK. 21, 1938 SAKA)

95

भाग-III

हरियाणा सरकार

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 मई, 2016

संख्या का.आ. 12/के०अ०२९/१९८६/धा० तथा 7/२०१६।— चूंकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 48—क अन्य बातों के साथ—साथ विचार करता है कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण की कोशिश करेगा;

और, चूंकि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986(1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29), की धारा 5 तथा 7 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1981(1981 का केन्द्रीय अधिनियम 14), की धारा 19 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन तथा राज्य में पार्यावरण अपकर्ष रोकने तथा यातायात और मानव स्वास्थ्य सम्बंधी खतरों से बचने के लिए परिस्थितिकी संतुलन बनाये रखने के लिए तुरन्त उपाय करना आवश्यक तथा समीचीन है;

और, चूंकि राज्य सरकार, औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने हेतु तथा पर्यावरण की शुद्धता बनाए रखने तथा क्षेत्र के निवासियों को स्वास्थ्य खतरे से भी बचाने के लिए पहले ही निर्णय ले चुकी है;

और, चूंकि हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का.आ. 126/के.अ. 29/86/धा. 5 तथा 7/ 97, दिनांक 18 दिसम्बर, 1997 के अनुसार, अनुसूची—I के अनुसार स्थल निर्धारण मानदण्ड मानकों, अनुसूची—II के अनुसार अपेक्षित उत्सर्जन मानकों तथा प्रदूषण नियन्त्रण उपायों, अनुसूची—III के अनुसार जोनों की पहचान तथा स्थलों की उपलब्धता तथा अनुसूची—IV के अनुसार परिलक्षित जोनों में स्थापना तथा संचालन के लिए प्रक्रिया के बारे में स्टोन क्रैशिंग इकाइयों के लिए निर्देश दिए गए थे;

और, चूंकि राज्य सरकार ने हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 150/के०अ० 29/1986/धा० 5 तथा 7/ 1998, दिनांक 30 अक्टूबर, 1998, संख्या का०आ० 125/के०अ० 29/1986/धा० 5 / 2000, दिनांक 18 अक्टूबर, 2000, संख्या का०आ० 85/के०अ० 29/86/धा० 5 तथा 7 / 2001, दिनांक 20 जून, 2001 तथा संख्या का०आ० 31/के०अ० 29/1986/धा० 5 तथा 7 / 2004, दिनांक 18 मार्च, 2004 द्वारा जारी पूर्वोक्त अधिसूचनाओं में विभिन्न संशोधन किए हैं;

और, चूंकि राज्य सरकार की राय है कि विद्यमान अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए नई अधिसूचना जारी करना आवश्यक तथा समीचीन है;

इसलिए, अब, भारत सरकार, पर्यावरण तथा वन मन्त्रालय, पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 152 (ई), दिनांक 10 फरवरी, 1988 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29), की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 4 के उपबन्धों के अनुसरण में, हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 126/के०अ० 29/86/धा० 5 तथा 7/ 97, दिनांक 18 दिसम्बर, 1997, अधिसूचना संख्या का०आ० 150/के०अ० 29/1986/धा० 5 तथा 7 / 1998, दिनांक 30 अक्टूबर, 1998, संख्या का०आ० 125/के०अ० 29/1986/धा० 5/2000, दिनांक 18 अक्टूबर, 2000, संख्या का०आ० 85/के०अ० 29/86/धा० 5 तथा 7 / 2001, दिनांक 20 जून, 2001 तथा संख्या का०आ० 31/के०अ० 29/1986/धा० 5 तथा 7 / 2004, दिनांक 18 मार्च, 2004 के अधिक्रमण में, तथा हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 16/75/2007-3 पर्या०, दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, अनुसूची—I के अनुसार स्थल निर्धारण मानदण्ड मानकों, अनुसूची—II के अनुसार अपेक्षित उत्सर्जन मानक तथा प्रदूषण नियन्त्रण उपाय, अनुसूची—III के अनुसार पहले से ही स्थापित स्टोन क्रैशर जोनों तथा अनुसूची—IV के अनुसार परिलक्षित जोनों की स्थापना तथा संचालन के लिए प्रक्रिया के बारे में स्टोन क्रैशिंग इकाइयों के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं, अर्थात् :—

उपरोक्त निर्दिष्ट अधिक्रमित अधिसूचनाओं के अनुसरण में की गई कोई कार्रवाई इस अधिसूचना के उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी जहां तक वे इस अधिसूचना के उपबन्धों से असंगत न हों, अर्थात्:—

भाग-III

हरियाणा सरकार

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 मई, 2016

संख्या का.आ. 12/के०अ०२९/१९८६/धा० तथा 7/२०१६।— चूंकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 48—क अन्य बातों के साथ—साथ विचार करता है कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण की कोशिश करेगा;

और, चूंकि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986(1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29), की धारा 5 तथा 7 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1981(1981 का केन्द्रीय अधिनियम 14), की धारा 19 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन तथा राज्य में पार्यावरण अपकर्ष रोकने तथा यातायात और मानव स्वास्थ्य सम्बंधी खतरों से बचने के लिए परिस्थितिकी संतुलन बनाये रखने के लिए तुरन्त उपाय करना आवश्यक तथा समीचीन है;

और, चूंकि राज्य सरकार, औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने हेतु तथा पर्यावरण की शुद्धता बनाए रखने तथा क्षेत्र के निवासियों को स्वास्थ्य खतरे से भी बचाने के लिए पहले ही निर्णय ले चुकी है;

और, चूंकि हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का.आ. 126/के.अ. 29/86/धा. 5 तथा 7/ 97, दिनांक 18 दिसम्बर, 1997 के अनुसार, अनुसूची—I के अनुसार स्थल निर्धारण मानदण्ड मानकों, अनुसूची—II के अनुसार अपेक्षित उत्सर्जन मानकों तथा प्रदूषण नियन्त्रण उपायों, अनुसूची—III के अनुसार जोनों की पहचान तथा स्थलों की उपलब्धता तथा अनुसूची—IV के अनुसार परिलक्षित जोनों में स्थापना तथा संचालन के लिए प्रक्रिया के बारे में स्टोन क्रैशिंग इकाइयों के लिए निर्देश दिए गए थे;

और, चूंकि राज्य सरकार ने हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 150/के०अ० 29/1986/धा० 5 तथा 7 / 1998, दिनांक 30 अक्टूबर, 1998, संख्या का०आ० 125/के०अ० 29/1986/धा० 5 / 2000, दिनांक 18 अक्टूबर, 2000, संख्या का०आ० 85/के०अ० 29/86/धा० 5 तथा 7 / 2001, दिनांक 20 जून, 2001 तथा संख्या का०आ० 31/के०अ० 29/1986/धा० 5 तथा 7 / 2004, दिनांक 18 मार्च, 2004 द्वारा जारी पूर्वोक्त अधिसूचनाओं में विभिन्न संशोधन किए हैं;

और, चूंकि राज्य सरकार की राय है कि विद्यमान अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए नई अधिसूचना जारी करना आवश्यक तथा समीचीन है;

इसलिए, अब, भारत सरकार, पर्यावरण तथा वन मन्त्रालय, पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 152 (ई), दिनांक 10 फरवरी, 1988 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29), की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 4 के उपबन्धों के अनुसरण में, हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 126/के०अ० 29/86/धा० 5 तथा 7 / 97, दिनांक 18 दिसम्बर, 1997, अधिसूचना संख्या का०आ० 150/के०अ० 29/1986/धा० 5 तथा 7 / 1998, दिनांक 30 अक्टूबर, 1998, संख्या का०आ० 125/के०अ० 29/1986/धा० 5/2000, दिनांक 18 अक्टूबर, 2000, संख्या का०आ० 85/के०अ० 29/86/धा० 5 तथा 7 / 2001, दिनांक 20 जून, 2001 तथा संख्या का०आ० 31/के०अ० 29/1986/धा० 5 तथा 7 / 2004, दिनांक 18 मार्च, 2004 के अधिक्रमण में, तथा हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 16/75/2007-3 पर्या०, दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, अनुसूची—I के अनुसार स्थल निर्धारण मानदण्ड मानकों, अनुसूची—II के अनुसार अपेक्षित उत्सर्जन मानक तथा प्रदूषण नियन्त्रण उपाय, अनुसूची—III के अनुसार पहले से ही स्थापित स्टोन क्रैशर जोनों तथा अनुसूची—IV के अनुसार परिलक्षित जोनों की स्थापना तथा संचालन के लिए प्रक्रिया के बारे में स्टोन क्रैशिंग इकाइयों के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं, अर्थात् :—

उपरोक्त निर्दिष्ट अधिक्रमित अधिसूचनाओं के अनुसरण में की गई कोई कार्रवाई इस अधिसूचना के उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी जहां तक वे इस अधिसूचना के उपबन्धों से असंगत न हों, अर्थात्:—

अनुसूची I
हरियाणा में स्टोन क्रैशरों के स्थल निर्धारण हेतु मानक

क्रम संख्या	मानदण्ड	किलोमीटर में दूरी
1	2	3
1.	निकटतम राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य राजमार्ग से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	1.0
2.	मुख्य जिला सड़कों तथा अन्य सड़कों की निकटतम बाहरी सीमा से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	0.1
3.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमाओं से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	5.0
4.	निकटतम नगरनिगम की सीमाओं से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	3.0
5.	निकटतम नगर/शहर/नगरपालिका सीमाओं से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	1.5
6.	निकटतम गांव फिरनी से अपेक्षित न्यूनतम दूरी यदि वहां कोई फिरनी नहीं है, तो दूरी गांव के लाल डोरे से मापी जाएगी।	1.0
7.	सड़कों, नहरों, रेलवे लाइनों तथा बांधों के साथ वन/पौधारोपण पट्टी के सिवाए सरकारी रिकार्ड (राजस्व या वन विभाग) में वन के रूप में अभिलिखित किसी भूमि से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	0.5
8.	सरकारी रिकार्ड (राजस्व या वन विभाग) में वन के रूप में अभिलिखित सड़कों, नहरों, रेलवे लाइनों तथा बांधों के साथ वन/पौधारोपण की किसी पट्टी से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	0.1
9.	20 किलोलीटर क्षमता की खुले आसमान की अनुमोदित जल आपूर्ति स्कीम से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	1.5
10.	अन्तरंग रोगियों के प्रबन्ध के लिए 25 या उससे अधिक विस्तरों का प्रबन्ध करने वाली किसी अन्तरंग स्वास्थ्य उपचार इकाई से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	1.0
11.	राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारणों (शरण-स्थान) तथा संरक्षण आरक्षणों से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	2.0

निम्नलिखित निर्देश उपरोक्त कथित अनुसूची के सम्बन्ध में भी दिए जाते हैं :-

- सभी दूरियां, जब तक विशेष रूप से ऊपर वर्णित नहीं की जाती हैं, सम्बन्ध आकृति (रूपक) की परिधि के लिए स्टोन क्रैशर की भूमि की निकटतम सीमा से कौवा उड़ान (क्रो फ्लाइ) के रूप में मापी जानी हैं।
- अधिसूचित, अनुमोदित क्रैशर जोन तथा उनका विस्तार उपरोक्त स्थल निर्धारण न्यूनतम दूरी मानदण्ड से प्रभावित नहीं होगा जैसा कि उपरोक्त स्थल निर्धारण मानदण्ड के संयोजन में स्टोन क्रैशिंग इकाइयों के समूह वाली सम्भाव्यता सम्भव नहीं हों। उपरोक्त वर्णित स्थल निर्धारण मानदण्ड केवल वर्तमान अधिसूचित, अनुमोदित क्रैशर जोन या उनके विस्तार से बाहर के क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली स्टोन क्रैशिंग इकाइयों को लागू होंगे।
- किसी भी स्टोन क्रैशर इकाई को फरीदाबाद तथा पलवल जिलों (पूर्व फरीदाबाद जिला) में परिलक्षित क्रैशर जोनों के बाहर स्थापित या संचालित किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- किसी भी नई स्टोन क्रैशर इकाई को परिलक्षित स्टोन क्रैशर जोनों से बाहर गुडगांव जिले में स्थापित किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- यदि संरक्षित क्षेत्र जैसे कि राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारणों (शरण स्थान) तथा संरक्षण आरक्षण के इको-अति संवेदनशील जोन दो किलोमीटर से अधिक दूरी का नियन्त्रण रखने के लिए अधिसूचित है, तो उस का पालन किया जाएगा।
- विभिन्न विहित स्थानों से स्टोन क्रैशरों की दूरी सम्बद्ध तहसीलदार द्वारा प्रमाणित/सत्यापित की जाएगी तथा वन भूमि के लिए स्थल निर्धारण दूरी के बारे में रिपोर्ट सम्बद्ध मण्डल वन अधिकारी से ली जाएगी। बोर्ड का सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी मण्डल वन अधिकारी या तहसीलदार द्वारा सत्यापन से भिन्न विहित स्थानों की दूरी सत्यापित करेगा।

अनुसूची II

उत्सर्जन मानकों तथा प्रदूषण नियन्त्रण उपायों की अपेक्षाएं

मद संख्या I

प्रदूषण नियन्त्रण पैरामीटर :-

किसी स्टोन क्रैशिंग इकाई के किसी प्रक्रिया उपकरण से 3 मीटर तथा 10 मीटर के बीच मापा जाने वाला या आस्थगित परमाणु कण (जिसे, इसमें, इसके बाद, एस पी एम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) 600 माईक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होगा। एस पी एम का माप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा उसके अधीन बनाए नियमों के अनुसार किया जाना है।

मद संख्या II

प्रदूषण नियन्त्रण उपाय:-

पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 के अधीन स्टोन क्रैशिंग इकाइयों द्वारा अनिवार्य बाध्यता के अनुसार निम्नलिखित प्रदूषण नियन्त्रण यन्त्र तथा माप लगाए जाने तथा संचालित किए जाने अपेक्षित हैं :—

- क. ढके हुए शेडों तथा फव्वारों के रूप में साधन के लिए धूल नियन्त्रण एवं निरोध प्रणाली;
- ख. दूरदर्शी जल प्रपात की व्यवस्था के साथ-साथ कम से कम 50 मीटर लम्बी तथा कम से कम 16 फुट ऊंचाई की अनुमोदित वायु रोकने वाली दीवार का निर्माण यह सुनिश्चित करने के लिए कि नोड से पीसी हुई सामग्री ऐसे बिन्दु से छोड़ी जाती है जो वायु रोकने वाली दीवार की ऊंचाई से कम से कम 2 फुट नीचे है। दीवार संरचनात्मक रूप से पक्की होगी तथा क्रैशर इकाई की अतिसंवेदनशील आवादी की दिशा को आच्छादित करेगी;
- ग. स्थापना की सहमति देते समय हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित क्रैशिंग इकाइयों के परिसरों के भीतर या स्टोन क्रैशिंग इकाइयों के आवासन जोन के भीतर वाहन संचालन के लिए धातु सड़क का निर्माण तथा अनुरक्षण;
- घ. अनुमोदित क्रैशर जोन के परिसरों के भीतर या तो व्यक्तिगत रूप से या क्रैशरों द्वारा संयुक्त रूप से मुहैया कराई जाने वाली धातु सड़क प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कों) के परामर्श से हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा यथा अवधारित होंगी। ये सड़क के निर्माण तथा अनुरक्षण की सन्तोषजनक विशिष्टियों के अनुसार निर्मित की जाएंगी। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को जोन में स्टोन क्रैशर या एकल स्थल या जोनों के भीतर परिसरों के निरन्तर संचालन को रद्द करने का प्राधिकार होगा जहां ऐसी धातु सड़क प्रश्नगत क्षेत्र को यथा लागू व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से सन्तोषजनक रूप से निर्मित या अनुरक्षित नहीं की गई हैं।
- ड. क्रैशिंग इकाई के परिसरों तथा शेष अहाते तथा जोन, जहां इकाई स्थित है, के भीतर भूमि की नियमित सफाई करना तथा उसे गीला करना।
- च. सभी स्टोन क्रैशिंग इकाइयों से सम्बन्धित मण्डल वन अधिकारी द्वारा पौधारोपण योजना के अनुमोदन के बाद दो पंक्तियों की पौधारोपण वृक्षवीथि वाली परिधि के साथ हरित पट्टी मुहैया कराई जाएगी। परिसरों के भीतर पौधारोपण के सम्पूर्ण रूप से विकसित होने तक परियोजना प्रस्तावक धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए परिधि के साथ अवरोध/रुकावट का निर्माण किया जाएगा। ऐसी रुकावट सभी तरफ से परिसरों को पूर्णरूप से बन्द करने वाली होनी चाहिए तथा या तो चार दीवारी या लचीला कपड़ा (तारपोलिन इत्यादि) या दोनों का संयोजन हो सकता है। रुकावट की ऊंचाई वाहक पट्टे के उच्चतम सिरे की ऊंचाई से कम नहीं होगी।
- छ. स्टोन क्रैशिंग इकाइयां कम से कम 10 किलोलीटर क्षमता की जल भण्डारण सुविधा के साथ-साथ कम से कम 50 फव्वारों का प्रबन्ध करेंगी। इसके अतिरिक्त उन्हें 100 टन प्रतिदिन के स्टोन क्रैशिंग क्षमता तथा उच्चतर क्षमता क्रैशर इकाइयों के लिए तदनुसार यथानुपात के लिए कम से कम 10 किलोलीटर जल प्रतिदिन छिड़कना चाहिए।

ज. फव्वारा प्रणाली के नियमित संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, स्टोन क्रैशिंग इकाइयां भार सर्वेक्षण तथा मांग विशेषता वाले पृथक उर्जा मीटर के साथ-साथ अन्तःपाशन (इन्टरलोकिंग) प्रणाली का प्रबन्ध करेगी ।

झ. ऐसे प्रदूषण नियन्त्रण साधन द्वारा उर्जा की खपत के लिए उर्जा मीटर द्वारा यथा अभिलिखित सम्पूर्ण घण्टा-वार लॉग-बुक हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड या इसके प्राधिकृत अधिकारी को स्थल पर या मुख्यतः उसके बाद तीन कार्य घण्टों की अवधि के भीतर उसकी मांग पर तुरन्त उपलब्ध कराई जाए ।

ज. स्टोन क्रैशिंग इकाइयां कच्ची सामग्री केवल वैध स्रोत से प्राप्त करेंगी तथा वैध खनन पट्टा धारकों से एकमात्र सम्पर्क करना होगा तथा देशविधि के अधीन उस पर यथा लागू उत्पादन डाटा, भुगतान कर तथा शुल्कों के साथ-साथ स्टोन क्रैशिंग इकाइयों द्वारा प्रयुक्त कच्ची सामग्री के स्रोत तथा मात्रा तथा उपयोग से सम्बन्धित सम्पूर्ण डाटा प्रस्तुत करेंगी ।

ट. किसी अनुमोदित अधिसूचित जोन के साथ हरित पट्टी कम से कम 100 मीटर की गहराई की होंगी या हरित पट्टी की दिशा में ऐसे वृक्षों की कम से कम 10 पंक्तियों सहित क्रैशर जोन की परिधि के साथ होंगी । परिधि के साथ ऐसे वृक्षों का अंतराल परिधि के साथ आठ मीटर से अधिक नहीं होगा । बागान वृक्षों की प्रकृति तथा ऐसे वृक्ष बागान के लिए अपेक्षित उनके संरक्षण उपाय सक्षम मण्डल बन अधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन होंगे । हरित पट्टी लगाने तथा अनुरक्षण के लिए जिम्मेवारी उस समय पर चलाई जाने वाली सभी स्टोन क्रैशर इकाइयों की होगी तथा यदि कोई स्टोन क्रैशिंग इकाई इस निर्देश का पालन नहीं करती है, तो बोर्ड चूककर्ता स्टोन क्रैशिंग इकाई के खर्च पर इसे कराएगा । यदि इकाई बोर्ड द्वारा उपगत खर्च का भुगतान करने में असफल रहती है, तो इकाइयों को कानून के चूककर्ता के रूप में समझा जाएगा तथा अन्यथा वैध गतिविधि के बावजूद उनके स्टोन क्रैशरों को चलाने से वंचित कर दिया जाएगा ।

ठ. किसी भी स्टोन क्रैशर को चौ, नदी या उनके बाढ़ संरक्षण तटबंध के भीतर नदी तल में स्थापित किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

ड. समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 15 अप्रैल 2014 द्वारा अधिसूचित बोर्ड के दिनांक 6 मार्च, 2014 के सहमति पालिसी आदेश जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 6) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का केन्द्रीय अधिनियम 14) के अधीन स्थापना की सहमति तथा चलाने की सहमति प्राप्त करने के लिए भी लागू होंगे ।

मद संख्या III

अनुनुपालन इकाइयों को बदला जाना

वे सभी स्टोन क्रैशिंग इकाइयां, जो इस अधिसूचना में विहित स्थल निर्धारण मानदण्ड को पूरा नहीं करती हैं, को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष के भीतर जो दूसरे एक वर्ष के लिए विस्तारयोग्य है बशर्ते कि स्टोन क्रैशिंग इकाई तीन वर्ष की समाप्ति से पूर्व तथा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को आवेदन करके इस अधिसूचना के अनुसार स्थल निर्धारण मानकों को पूरा करने वाले स्थल के लिए भूमि प्राप्त करती हैं, इस अधिसूचना की अनुसूची I के अनुसार स्थल निर्धारण पैरामीटरों को पूरा करने वाले स्थल में या जोन में खाली स्थलों की उपलब्धता पर आधारित परिलक्षित जोन में बदलनी होंगी ।

मद संख्या IV

भूमि की आवश्यकता

प्रत्येक नई स्टोन क्रैशिंग इकाई चाहे वह अधिसूचित जोन में है या बाहर है, को भूमि का कम से कम एक एकड़ का क्षेत्र (मशीनरी के एक सेट सहित 10000 घन फीट/प्रतिदिन तक की क्रैशिंग क्षमता) तथा 1.5 एकड़ भूमि (10000 घन फीट/प्रतिदिन से अधिक क्रैशिंग क्षमता या मशीनरी के एक सेट से अधिक सहित क्रैशिंग क्षमता) का मालिक होना चाहिए तथा में चलाना चाहिए । यदि भूमि पट्टे पर ली गई है, तो पट्टा राजस्व प्राधिकारी से रजिस्टर्ड होना चाहिए तथा यदि भूमि पंचायत से पट्टे पर ली गई है, तो यह प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग की लिखित अनुज्ञा सहित होनी चाहिए । पट्टा अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा अपरिवर्तनीय होना चाहिए ।

अनुसूची-III
परिलक्षित स्टोन क्रैशर जोन

क्रम संख्या	जोन का नाम	जोन	क्षेत्र				
			4	5	6	7	8
1	2	3					
		जिला	तहसील	हदबस्त सहित गांव	खसरा संख्या	क्षेत्र एकड़ों में	जोन में समायोजित किए जाने वाले स्टोन क्रैशरों की अधिकतम संख्या
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)		
1	बिल्हा	पंचकूला	पंचकूला	बिल्हा 237	<u>28</u> 1,2,3,4,5/1,5/2,6, 7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16/1,16/2,17,18/1, 18/2,19/1,19/2,20,21, 22,23/1,23/2,24,25 <u>29</u> 1,2/1,22/2,3,4/1,4/2, 4/3,5,6/1,6/2,6/3, 7/1,7/2,8,9/1,9/2,10, 11,12/1,12/2,13/1, 13/2,14/1,14/2,15, 16,17,18,19/1,19/2, 20,21,22/1,22/2,22/3, 23/1, 23/2, 23/3, 24/1,24/2,25/1,25/2 <u>30</u> 1,2,3/1,3/2,4,8/1, 8/1/2,8/2,9/1,9/2, 9/3,10,11/1,11/2,12, 13/1,19/1,19/2,20, 21/1,21/2,22/1,22/2 <u>32</u> 1,2/1,2/2,3,4/1,4/2, 5/1,5/2,6,7/1,7/2, 8, 8/1,8/2/1,8/2/2, 9,10/1,10/2,10/3, 11/1,11/2,11/3,12, 13/1,13/2,14,15,17, 18,19/1,19/2, 20, 21, 22,23/1, 23/2, 24 <u>33</u> 1,2/1,2/2,3/1,3/2, 4,5,6,7/1,7/2,8,9, 10,11,12/1,12/2,13/1, 13/2,14,15/1,15/2	98 एकड़ 3 कनाल तथा 18 मरला	50

2.	बुर्जकोटियां	पंचकूला	कालका	बुर्जकोटियां 196	325 मिन, 326 से 331, 334,335,356 से 404, 405 मिन, 406 मिन, 416 मिन,	105 एकड़	36
3.	खानक	भिवानी	तोशाम	खानक 34	<p><u>205</u> 20,21,22,23</p> <p><u>216</u> 3,4,6,7,8,13,14,15, 16,17,18,23,24,25</p> <p><u>217</u> 13,14,15,16,17,18, 23,24,25</p> <p><u>218</u> 6,11,15,16,19,20, 21, 22, 25</p> <p><u>219</u> 3,8,9,10,11,12,13,17, 18,19,20,21,22, 23</p> <p><u>220</u> 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19, 20, 21,22,23,24,25</p> <p><u>234</u> 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25</p> <p><u>235</u> 1,2,3,4,5,8/1,8/2,9, 10,11,12,13/1,13/2, 18,19,20,21,22, 23</p> <p><u>236</u> 1,2,5,6/1,6/2,9,10, 11,12,15,16,19,20, 21,22,25</p> <p><u>237</u> 3,4,5,6,7,8,13,14, 15,16,17,18,23,24, 25</p> <p><u>238</u> 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,17, 18,19,20,21,22/1, 22/2,23/1,23/3,23/2, 24/1,24/2,25/1,25/2</p>	<u>237.64</u> एकड़	93

3.	खानक	भिवानी	तोशाम	खानक 34	<u>242</u> 2,3,4,5,6, <u>243</u> 3,4,5,6,7,8,15 <u>244</u> 1,2,5,6,9,10,11, 12,15,16 <u>245</u> 1,2,3,8,9,10,11, 12,13,17,18,19,20 <u>246</u> 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21, 22,23,24,25 <u>258</u> <u>1,2,3,4,5,6,7,8, 10</u>	237.64 एकड़	93
4.	दादम	भिवानी	तोशाम	दादम 36	<u>10</u> <u>4,5,6,7,14,15,16</u> <u>11</u> 1,2,3,4,5,6,7,8/1,8/2, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24/1, 24/2, 25 <u>12</u> 10, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25/1, 25/2 <u>13</u> 11, 16, 19/1, 19/2, 20, 21, 22, 25 <u>14</u> 21, 22, 23, 24 <u>16</u> 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 <u>17</u> 1, 2, 3, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13	81.1 एकड़	

4.	दादम	भिवानी	तेशाम	दादम 36	<u>18</u> 1,2/1,2/2,5,6,9,10, 11,12,15,20 <u>19</u> 3,4,6,7,8,13,14,15, 16,17,18 <u>20</u> 4,5,6,7	81.1 एकड़	
5	नोरंगपुर	गुडगांव	गुडगांव	नोरंगपुर— 157	<u>77</u> 16,17,18,22/1,22/2, 23/1,23/2,24,24/2, 25/1, 25/2 <u>14</u> 20,21,22 <u>74</u> 10,11 <u>75</u> 2,3,4,5,6,7,8,9,12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19,19/1, 20/1, 20/2,21/1,21/2,22, 23,24,25 <u>76</u> 16/1,16/2,17/1,17/2, 18/1,18/2,19/1,19/2, 20/1,20/2,21/1,21/2, 22,23,24,25 <u>85</u> 3,4,5,6,7,8, 11 मिन—पूर्व, 12 मिन—पूर्व, 13 मिन—उत्तर, 14/1 मिन—उत्तर, 14/2 मिन—उत्तर 16 मिन—उत्तर 19 मिन उत्तर 20 मिन पश्चिम <u>86</u> 1/1,1/2,2,3,4,5,6/1, 6/2,7/1,7/2, 8/1, 8/2,9,10, मिन—उत्तर, 12/1, 12/2, 13,14,16,17,18,19/1, 19/2, मिन—उत्तर, 20/1,मिन—उत्तर	104 एकड़, 3 कनाल, 4 मरला	80

5	नोरंगपुर	गुडगांव	गुडगांव	नोरंगपुर- 157	<u>87</u> 1/1,1/2,1/3,2,8,4,5, 6,7,8,9,10/1,10/2, 11,12,13,14,15,16, 17,18,19,2 <u>88</u> 1,2,9,10,11,20 <u>91</u> 110 मिन-पूर्व	104 एकड़, 3 कनाल, 4 मरला	80
6	इन्द्री रेवासन	मेवात	नूह	इन्द्री 197	<u>173</u> 1/1,1/2,1/3,2,3,4, 5/1,5/2,6,7,8,9/2,9/1, 10,12/1, 12/2, 13/1, 13/2,14/1,14/2,15/1, 15/2,16,17,18,23, 24,25 <u>175</u> 4,5,6,15 <u>172</u> 1,2,3,4,7,8,9,10/1, 10/2,11,12,13/1, 13/2,14,17,18,19,20, 21,22,23,24 <u>176</u> 1,2,3,8,9,10,11,12	372 कनाल	18
7	इन्द्री रेवासन	मेवात	नूह	इन्द्री 108	<u>45</u> 3/2,7,8,13,14,15, 16,17/1,17/2,18/1, 18/2,19/1,22,23,24/1, 24/2,25 <u>44</u> 20 <u>58</u> 1/2,2,3,4,5/1, 5/2,6,7/1, 7/2, 8,9/1,9/2,9/3, 10,11/1,11/2,12,13, 14,15,16,17,18,19,23, 24 <u>59</u> 1,10 <u>60</u> 4		

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 11, 2016
(VYSK. 21, 1938 SAKA)

8	रायसीना	गुडगांव	सोहना	रायसीना 184	<p><u>100</u> 22 मिन-पूर्व, 23 मिन-पूर्व, 24</p> <p><u>125</u> 1 मिन-पूर्व 2,3,4,5,6,7, 8,9/1,9/2,10, 11,12/1,12/2,13,14, 15,16,17/1,17/2,18,1 9,20,21,22,23,24, 25/1,25/2,26</p> <p><u>126</u> 1,10,11,20,21</p> <p><u>129</u> 1,10</p> <p><u>130</u> 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10</p>	41 एकड़, 2 कनाल, 5 मरला	
9	बेला माजरा	यमुनानगर	छछरोली	बेला माजरा -71	<p><u>10</u> 16,17,21,22,23,24,25</p> <p><u>13</u> 1 to 12</p>	80 एकड़, 0 कनाल, 11 मरला	16
10	डोएवाला	यमुनानगर	छछरोली	डोएवाला 69	<p><u>16</u> 1,2 to 17,18/1,18/2, 19/1,19/2,20 to 25</p> <p><u>22</u> 1,2/1,2/2,2/3,3/1,3/2, 3/3,4/1,4/2,7,8,9,10/1 ,10/2,10/3,11/1,11/2, 12/1,12/2,13,14,17/1, 17/2,18,19,20/1,20/2, 21,22/1,22/2,23,24/1, 24/2</p> <p><u>27</u> 1,2,3,4,5/1,5/2,6,7/1, 7/2,8,9,10/1,10/2,11 से 15,17,18,19,20</p>		
11	बुर्जकोटियां विस्तार	पंचकूला	पंचकूला	बुर्जकोटियां विस्तार-196	174 मिन, 152 मिन, 118 मिन, एक तरफ के लिन्क रोड तथा दूसरी तरफ के घग्गर नदी के किनारे के बीच में स्थित	34 एकड़	

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 11, 2016
(VYSK. 21, 1938 SAKA)

12	धौज	फरीदाबाद	फरीदाबाद स्टोन क्रैशिंग जोन	धौज	<p><u>9</u> 7 मिन, 8,9,10,11, 12, 13,14 मिन, 17 मिन</p>		
----	-----	----------	-----------------------------------	-----	---	--	--

12	धौज	फरीदाबाद	फरीदाबाद स्टोन क्रैशिंग जौन	धौज	<p><u>9</u> 7 मिन, 8,9,10,11,12, 13,14 मिन 17 मिन, 18,19,20,21,22,23, 24 मिन</p> <p><u>10</u> 1 मिन, 6 मिन, 7 मिन, 8,9, 10,11,12,13, 14, मिन, 15 मिन, 16 मिन, 17 मिन, 18,19,20,21, 22,23,24, मिन, 25 मिन</p> <p><u>11</u> 5 मिन, 15 मिन, 16मिन, 25 मिन</p> <p><u>12</u> 5 मिन, 6 मिन</p> <p><u>13</u> 1,2,3,4,5,6 मिन, 7मिन, 8 मिन, 9मिन, 10मिन, 15मिन, 16मिन, 25 मिन</p> <p><u>14</u> 1,2,3,4 मिन, 5मिन, 6 मिन, 7मिन, 8, 9, 10, 11,12,13,14मिन, 15मिन, 16,17,18,19, 20, 21, 22, 23,24,25</p> <p><u>15</u> 1,2 मिन, 8 मिन, 9 मिन, 10,11,12,13मिन, 17 मिन, 18 मिन, 19, 20, 21, 22, 23,24मिन</p> <p><u>25</u> 1,2,3,4 मिन, 7 मिन, 8,9,10,11,12, 13मिन, 14 मिन, 18 मिन, 19,20,21,22, 23मिन</p> <p><u>26</u> 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22, 23,24,25</p> <p><u>27</u> 5 मिन, 6 मिन, 15 मिन, 16 मिन, 25 मिन</p>	
----	-----	----------	-----------------------------------	-----	---	--

	हरित पट्टी	स्टोन क्रैशर जोन क्षेत्र से अतिरिक्त स्टोन क्रैशर जोन के चारों ओर 100 मीटर चौड़ी			<p>5 24 मिन, 25 मिन</p> <p>6 21 मिन, 22,23,24,25</p> <p>7 21,22,23,24,25 मिन</p> <p>8 18मिन,19,20,21,22, 23 मिन</p> <p>9 1,2,3,4,5मिन, 6 मिन, 7 मिन, 14 मिन, 15मिन, 16, 17 मिन, 24मिन, 25</p> <p>10 1 मिन, 2,3,4,5,6 मिन, 7 मिन, 14 मिन, 15, 16, 17 मिन, 24 मिन 25 मिन</p> <p>11 4 मिन, 5 मिन,6 मिन, 7 मिन, 14 मिन,15, 16 मिन, 17 मिन, 24मिन, 25 मिन</p> <p>12 4 मिन, 5 मिन,6 मिन, 7 मिन, 14मिन,15, 16 मिन,17 मिन</p> <p>13 6 मिन,7 मिन, 8मिन, 9 मिन, 10मिन,11,12, 13,14,15मिन,16मिन, 17 मिन,18 मिन, 19 मिन, 20मिन, 24मिन, 25मिन</p> <p>14 4 मिन, 5मिन, 6मिन, 7मिन, 14मिन, 15मिन</p> <p>15 2 मिन, 3मिन, 4 मिन, 7मिन, 8मिन, 9मिन, 13मिन, 14मिन,15मिन, 16मिन, 17मिन,18मिन, 24मिन, 25मिन</p>	
--	------------	---	--	--	---	--

					25 4मिन, 5मिन, 6मिन, 7मिन, 13मिन, 14मिन, 15मिन, 16मिन, 17, 18मिन, 24, 25मिन 27	
					4 मिन, 5मिन, 6मिन, 7 मिन, 13मिन, 14मिन, 15मिन, 16मिन, 17, 18मिन, 24, 25मिन 30	
					4 मिन, 5, 6, 7मिन 31	
					1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 32	
					1,2,3मिन, 4,5 मिन, 6 मिन, 7 मिन, 8 मिन, 9, 10.	

टिप्पण :

उपरोक्त अधिसूचित जोनों के अतिरिक्त, दो और स्टोन क्रैशिंग जोन अर्थात् गांव पाली तथा मोहब्बाबाद, जिला फरीदाबाद खान तथा भू-विज्ञान विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या का० आ० 37 / ह०आ० 15 / 92 धा० 2 / 93, दिनांक 30 अप्रैल, 1993 द्वारा अधिसूचित किए गए हैं।

अनुसूची-IV
परिलक्षित जोनों में स्टोन क्रैशिंग इकाइयों की स्थापना तथा संचालन
के लिए प्रक्रिया

1. हरियाणा राज्य में कहीं भी कार्यरत वर्तमान स्टोन क्रैशिंग इकाई, जो अनुसूची-I में यथा विनिर्दिष्ट या अनुसूची- III के अनुसार परिलक्षित जोनों के क्षेत्रों में नहीं पड़ती हैं, या तो अनुसूची- I के अनुसार स्थल निर्धारण मानदण्ड को पूरा करने वाले स्थल में या अनुसूची- III के अनुसार परिलक्षित क्रैशिंग जोनों में उपलब्ध स्थलों में या किसी प्राधिकरण के विरुद्ध किसी दावे को शामिल किए बिना इकाई को बन्द करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से स्थापित करने के लिए सहमति प्राप्त (एन.ओ.सी.) करने के बाद बदलनी होगी।
2. निम्नलिखित प्राथमिकता के क्रम से अनुसूची- III के अनुसार परिलक्षित जोनों में क्रैशिंग इकाइयों की स्थापना करने के लिए स्थापित करने की सहमति के लिए आवेदक के विचारण के लिए निम्नलिखित पालिसी अपनाई जाएगी :-
 - 2.1 पहली प्राथमिकता ऐसी क्रैशिंग इकाइयों को दी जाएगी जिनको हरियाणा में कहीं भी उनके पूर्व स्थान से किसी न्यायिक प्राधिकारी के अन्तिम आदेशों के अधीन बन्द किए जाने के आदेश किए गए थे या बदले जाने के लिए आदेश किए गए थे। परन्तु किसी भी स्टोन क्रैशिंग इकाई को जिले के बाहर कहीं भी पुनः खड़ी करने (पुनः रखने के लिए) के लिए नहीं विचारा जाएगा जहां वे उस तिथि को यथा लागू जिला सीमाओं के अनुसार पहले से चल रही थीं जब उन्हें रोकने के लिए न्यायिक आदेश लागू हुए थे। पुनः खड़ी करने (पुनः रखने के लिए) के लिए ऐसी क्रैशिंग इकाइयों की परस्पर प्राथमिकता उस तिथि के अनुसार दी जाएगी जब न्यायिक आदेश लागू हुए थे। तथापि, ऐसी स्टोन क्रैशिंग इकाई को ऐसी तिथि से छह मास की अवधि के भीतर जो हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा दूसरे छह मास के लिए विस्तारित हो सकती है, स्थापित करने की सहमति (एन.ओ.सी.) जारी करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की स्थापित करने की सहमति (एन.ओ.सी.) के लिए सम्पूर्ण आवेदन दायर करना होगा। इस अवधि से आगे छह मास के लिए अवधि के लिए कोई छूट कारण अभिलिखित करते हुए राज्य सरकार द्वारा लोकहित में दी जा सकती है। स्थापित करने के लिए सहमति (एन.ओ.सी.) के लिए कोई आवेदन जो स्थल की उपलब्धता की

कमी के लिए स्वीकृत नहीं किया जा सका, को तथापि कालबाधित के रूप में नहीं समझा जाएगा तथा परिसीमा अवधि परिलक्षित जोनों के भीतर स्थल की उपलब्धता की तिथि से प्रारम्भ होगी।

2.2 दूसरी प्राथमिकता पुनः खड़ी करने के लिए उस स्टोन क्रैशिंग इकाई को दी जाएगी जो स्थल निर्धारण मानदण्ड मानकों की अननुपालना के कारण हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड या हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग द्वारा बन्द कर दी गई थी। ऐसे आवेदनों के लिए समय सीमा उपरोक्त पैरा 2.1 में यथा विनिर्दिष्ट मानदण्ड के अनुसार होगी।

2.3 कोई भी इकाई जो चाहे विगत में या भविष्य में उनको किसी वैध (विधिक) रोक आदेश के बिना उनकी स्टोन क्रैशिंग गतिविधियों के कारण बन्द कर दी गई थी, को किसी अनुमोदित क्रैशिंग जोन में तब तक पुनः खड़ी करने के लिए (स्थापित करने के लिए) किसी सहमति (एन.ओ.सी.) को जारी करने हेतु नहीं विचारा जाएगा जब तक उनको पहले ही प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार समायोजित किया गया है जो इससे पहले स्थापित करने की सहमति (एन.ओ.सी.) जारी करने के लिए सक्षम था।

2.4 परिलक्षित जोन के भीतर किसी उपलब्ध स्टोन क्रैशिंग स्थलों के आबंटन के लिए आवेदन हरियाणा राज्य में व्यापक रूप से परिचालित कम से कम दो अंग्रेजी तथा दो हिन्दी के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित सार्वजनिक विज्ञापन नोटिस के उत्तर में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को अब से किया जाएगा। किसी भी वर्तमान (विद्यमान) आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें सार्वजनिक विज्ञापन के उत्तर के लिए नए सिरे से आवेदन करना है।

2.5 परिलक्षित जोन में स्थापित करने की सहमति (एन.ओ.सी.) के लिए आवेदनों को अध्यक्ष, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, निदेशक, पर्यावरण तथा सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से मिलकर बनी समिति द्वारा निर्णीत किया जाएगा तथा उसकी अध्यक्षता अध्यक्ष, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा की जाएगी।

2.6 विगत में दी गई या भविष्य में दी जाने वाली किसी स्टोन क्रैशर इकाई को चलाने की सहमति उत्तराधिकार (विरासत) द्वारा प्राकृतिक अन्तरण के मामले के सिवाए गैर-अन्तरण योग्य होगी।

2.7 चाहे परिलक्षित जोन में या एकल जोन में पुनः खड़ी करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा इस अधिसूचना से पूर्व जारी स्थापित करने की कोई सहमति (एन.ओ.सी.) इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से छह मास से अनधिक अवधि के लिए वैध होगी। तथापि, स्थापित करने की सहमति (एन.ओ.सी.) द्वारा अधिसूचना को जारी होने के बाद जारी की गई है, तो वह किसी ऐसी नई स्थापित करने की सहमति (एन.ओ.सी.) के जारी होने की तिथि से नौ मास से अनधिक अवधि के लिए वैध होगी।

3. हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड सहित किसी प्राधिकरण द्वारा जारी किसी विद्यमान वैधानिक उपबन्धों तथा किसी प्रशासकीय आदेशों के बीच किसी विरोध के मामले में, वैधानिक उपबन्ध भारत के निर्धारित कानून के अनुसार लागू होगा।

4. उपरोक्त किन्हीं अन्य उपबन्धों के प्रतिकूल को विचार में लाए बिना किसी भी स्टोन क्रैशिंग इकाई चाहे वह किसी अनुमोदित क्रैशिंग जोन के भीतर या जोन के बाहर है, को चाहे विगत में या भविष्य में किसी अन्य लागू विधिक निर्बन्धन विधान तथा विधायी नियमों तथा नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा सहित सक्षम विधायी प्राधिकरण या विहित प्राधिकरण द्वारा लागू या विहित के उल्लंघन में चलाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी.) को जारी करना किसी ऐसे वैधानिक वैध निर्बन्धन का उल्लंघन करने की किसी अनुज्ञा के रूप में नहीं समझा जाएगा।

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण विभाग।

[Authorised English Translation]

**HARYANA GOVERNMENT
ENVIRONMENT DEPARTMENT
Notification**

The 11th May, 2016

No. S.O. 12/C.A. 29/1986/Ss. 5 and 7/2016.—Whereas article 48-A of the Constitution of India interalia envisages that the State shall endeavour to protect the environment;

And, whereas it is necessary and expedient to take immediate steps under sections 5 and 7 of the Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act 29 of 1986) and section 19 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Central Act 14 of 1981) and rules framed thereunder and to maintain ecological balance in the State to prevent environmental degradation and to avoid traffic and human health hazards;

And, whereas the State Government has already taken a decision to maintain ecological balance keeping in view the industrial development and also to maintain the quality of environment and to avoid health hazard for the residents of the area;

And, whereas as per Haryana Government, Environment Department, notification No. S.O. 126/C.A.29/86/S.5 & 7/97, dated the 18th December, 1997, directions were given for stone crushing units in regard to siting criteria norms as per Schedule-I, emission norms and pollution control measures requirements as per Schedule-II, identification of zones and availability of sites as per Schedule-III and procedure for establishment and operation in identified zones as per Schedule-IV;

And, whereas the State Government has made several amendments in the aforesaid notification issued *vide* Notification No. S.O.150/C.A.29/1986/S.5 and 7/1998, dated the 30th October, 1998, No. S.O.125/ C.A.29/ 1986/S.5/2000, dated the 18th October, 2000, No. S.O. 85/C.A 29/86/S. 5 and 7/2001, dated the 20th June, 2001 and No. S.O.31/C.A.29/1986/Ss.5 and 7/2004, dated the 18th March, 2004;

And whereas the State Government is of the opinion that it is necessary and expedient to issue a fresh notification by superseding the existing notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, (Central Act 29 of 1986) read with Government of India, Ministry of Environment and Forests, Department of Environment, Forests and Wildlife, Notification No. S.O. 152 (E), dated the 10th February, 1988, and in pursuance of the provisions of section 7 of the said Act and rule 4 of the Environment (Protection) Rules, 1986, and in supersession of the Haryana Government, Environment Department, Notification No. S.O.126/C.A.29/86/S.5 and 7/97, dated the 18th December, 1997, Notification No. S.O.150/C.A.29/1986/S.5 and 7/1998, dated the 30th October, 1998, No. S.O.125/C.A.29/1986/S.5/2000, dated the 18th October, 2000, No. S.O. 85/C.A 29/86/S. 5 and 7/2001, dated the 20th June, 2001 and No. S.O.31/C.A.29/1986/S.5 & 7/2004, dated the 18th March, 2004, and in pursuance of Haryana Government , Environment Department, Notification No. 16/75/2007-3 Env, dated the 21st October, 2015, the Governor of Haryana hereby issues the following directions for stone crushing units in regard to siting criteria norms as per Schedule-I, emission norms and pollution control measure requirements as per Schedule-II, already established stone crusher zones as per Schedule-III and procedure for establishment and operation in identified zones as per Schedule-IV.

Any action taken in pursuance of the superseded notifications referred to above will be deemed to have been taken under the provisions of this notification so far as it is not inconsistent with the provisions of this notification, namely:—

**SCHEDULE I
NORMS FOR SITING OF STONE CRUSHERS IN HARYANA**

Serial Number	Criteria	Distance in Kilo Meter
1	2	3

1.	Minimum distance required from the nearest National Highway and State Highway	1.0
2.	Minimum distance required from the nearest outer limit of major district roads and other roads	0.1
3.	Minimum distance required from the limits of National Capital Territory of Delhi	5.0
4.	Minimum distance required from the limits of nearest Municipal Corporation.	3.0
5.	Minimum distance required from the nearest Town/City/Municipal Limits	1.5
6.	Minimum distance required from the nearest Village Phirni. In case if there is no phirni then the distance will be measured from village Lal Dora	1.0
7.	Minimum distance required from any land recorded as forest in Government record (revenue or forest department) except strip forests / plantation along roads, canals, railway lines and bunds.	0.5
8.	Minimum distance required from any strip forests/ plantation along roads, canals, railway lines and bunds etc. recorded as forest in Government record (revenue or forest department).	0.1
9.	Minimum distance required from approved water supply scheme open to sky of 20 KI capacity.	1.5
10.	Minimum distance required from any indoor health treatment unit catering to 25 or more bed for catering indoor patients	1.0
11.	Minimum distance required from National Parks, Wild Life Sanctuaries and Conservation Reserves	2.0

The following directions are also given in respect of above said schedule:

- i. All distances unless specifically mentioned above are to be measured as the crow flies from the nearest boundary of the land of the stone crusher to the periphery of the feature concerned.
- ii. The notified approved crusher zones and their extension would not be affected by the above siting minimum distance criteria as the feasibility of having a conglomeration of stone crushing units in conjunction with the above siting criteria may not be possible. The above mentioned siting criteria will only be applicable to stone crushing units to be established in the area outside the existing notified, approved crusher zones or their extension.
- iii. No stone crushing unit will be allowed to be set up or operate outside the identified crusher zones in Faridabad and Palwal Districts (earstwhile Faridabad District).
- iv. No new stone crusher unit will be allowed to be set up in Gurgaon District outside the identified stone crusher zones.
- v. In case eco sensitive zone of a protected area like National Park, Wild Life Sanctuary or Conservation Reserve is notified having restrictions for a distance more than two kms, then the same shall be adhered to.
- vi. The distance of the stone crushers from various prescribed locations will be certified / verified by the concerned Tehsildar and for the forest land the report regarding the siting distance will be taken from concerned Divisional Forest Officer. The concerned Regional Officer of the Board shall verify distances of the prescribed locations other than those verified by Divisional Forest Officer or Tehsildar.

Schedule-II

EMISSION NORMS AND POLLUTION CONTROL MEASURES REQUIREMENTS

Item Number 1

Pollution Control Parameters:-

The suspended particulate matter (hereinafter referred to as SPM) measured between 3 meters and 10 metres from any process equipment of a stone crushing unit shall not exceed 600 micrograms per cubic metre. The measurements of SPM are to be conducted as per Environment Protection Act, 1986 and rules made thereunder.

Item Number II

Pollution Control Measures:-

The following pollution control devices and measures are required to be installed and operated as mandatory obligation by the stone crushing units under the Environment Protection Rules, 1986:

- (A.) Dust containment cum suppressing system for the equipment in the form of covered sheds and sprinklers;
- (B.) Construction of approved wind breaking wall of at least 50 meter length and minimum 16 feet height alongwith provision of telescopic chute to ensure that the crushed material from the nod is released from a point which is at least 2 feet below the height of the wind breaking wall. The wall shall be structurally sound and shall cover the vulnerable abadi side of the crusher unit.
- (C.) Construction and maintenance of metalled roads for vehicular movement within the premises of the crushing units or within the zone housing the stone crushing units as approved by the Haryana State Pollution Control Board at the time of grant of Consent to Establish.
- (D.) The metalled roads to be provided either individually within the premises or jointly by the crushers in the approved crusher zones will be as determined by Haryana State Pollution Control Board in consultation with E-in-C, PWD(B&R). These roads shall be constructed as per satisfactory specifications of construction and maintenance. Haryana State Pollution Control Board will have the authority to cancel continued operation of stone crusher in zone or isolated sites or premises within zones where such metalled roads are not satisfactorily constructed or maintained individually or jointly as applicable to the area in question.
- (E.) Regular cleaning and wetting of the ground within the premises and the remaining enclosure of the crushing units and the zone where the unit is situated.
- (F.) All stone crushing units shall provide a green belt along the periphery having avenue plantation of two rows after approval of plantation plan by the Divisional Forest Officer concerned. Till plantation within the premises is fully developed, the project proponent shall erect a barrier/ barricade along the periphery to contain the dust emissions. Such barricade should completely enclose the premises from all sides and may be either a boundary wall or of flexible cloth (tarpaulin etc.) or a combination of two. The height of the barricade shall not be less than the height of the highest tip of the conveyor belts.
- (G.) The stone crushing units shall provide at least 50 number sprinklers alongwith a water storage facility of minimum 10 Kilolitre capacity. Further they must sprinkle at least 10 kilolitre of water per day for a stone crushing capacity of 100 tones per day and pro rata accordingly for higher capacity crushing units.
- (H.) In order to ensure the regular operation of sprinklers system, the stone crushing units will provide inter locking system alongwith separate energy meter having load survey and demand features.
- (I.) A complete hour-wise log book as recorded by the energy meter for the consumption of energy by such pollution control measure be made available to the Haryana State Pollution Control Board or its authorised officers immediately on its demand on the spot or within a period of three working hours thereafter at the most;

(J.) The stone crushing units shall obtain raw material only from legal sources and will have exclusive contract with the legitimate mining lease holders and will submit complete data relating to the sources and quantity of raw material utilized and exploited by the stone crushing units alongwith production data, taxes and duties paid as applicable thereon under the law of land;

(K.) A green belt along any approved notified zone will be for a depth of atleast 100 meters or along the periphery of the crusher zone with minimum 10 rows of such trees in the direction of the depth of the green belt. The spacing of such trees along the periphery shall not exceed 8 meters along the periphery. The nature of trees to be planted and their protection measures required for such tree plantation shall be subject to the approval of the concerned Divisional Forest Officer. The responsibility for planting and maintaining of green belt shall be with all the stone crushing units operating at that time and in case any stone crushing unit does not comply with this direction, the Board shall get it done at the expense of the defaulting stone crushing unit. If the units fail to pay the expenditure incurred by the Board, then the units will be treated as defaulters in law and debarred from operating their stone crushers inspite of their being a valid activity otherwise.

(L.) No stone crusher will be allowed to be set up in choe, stream or river bed within their flood protection embankments.

(M.) Consent policy orders dated the 6th March, 2014 of the Haryana State Pollution Board notified on 15th April, 2014 as amended from time to time will also be applicable for obtaining consent to establish and consent to operate under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Central Act 6 of 1974) and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Central Act 14 of 1981).

Item Number III**Non-complying units to be shifted**

All the stone crushing units, which do not meet the siting criteria prescribed in this notification shall have to shift to a site meeting the siting parameters as per Schedule-I of this notification or to identified zone depending on availability of vacant sites in the zone, within three years from the date of issuance of this notification which is extendable for another one year provided that stone crushing unit procures the land for a site meeting the siting norms as per this notification, before the expiry of three years and applies to Haryana State Pollution Control Board.

Item Number IV**Requirement of Land**

Every new stone crushing unit whether in notified zone or outside, must possess and operate in a minimum area of one acre of land (crushing capacity up to 10000 Cubic feet per day with one set of machinery) and 1.5 acre of land (crushing capacity more than 10000 Cubic feet per day or with more than one set of machinery). In case land is taken on lease, then the lease should be registered with revenue authority and if the land is taken on lease from Panchayat then it should be with the written permission of the Principal Secretary to Government Haryana, Panchayat and Development Department. The lease period should not be less than twenty years and should be irrevocable.

SCHEDULE-III
IDENTIFIED STONE CRUSHER ZONES

Sr. No.	Name of Zone	Zone	Area				
			4	5	6	7	8
		District	Tehsil	Village with hadbast	Khasra No.	Area in Acres	Maximum No of stone crusher to be accommodate in the zone
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)		
1	Bilha	Panchkula	Panchkula	Bilha 237	<p>28 1,2,3,4,5/1,5/2,6,7, 8,9,10,11,12,13,14 15,16/1,16/2,17,18/1, 18/2,19/1,19/2,20,21, 22,23/1,23/2,24,25</p> <p>29 1,2/1,22/2,3,4/1,4/2, 4/3,5,6/1,6/2,6/3, 7/1,7/2,8,9/1,9/2,10, 11,12/1,12/2,13/1, 13/2,14/1,14/2,15, 16,17,18,19/1,19/2, 20,21,22/1,22/2,22/3, 23/1, 23/2, 23/3, 24/1,24/2,25/1,25/2</p> <p>30 1,2,3/1,3/2,4,8/1, 8/1/2,8/2,9/1,9/2, 9/3,10,11/1,11/2,12, 13/1,19/1,19/2,20, 21/1,21/2,22/1,22/2</p> <p>32 1,2/1,2/2,3,4/1,4/2, 5/1,5/2,6,7/1,7/2, 8,8/1,8/2/1,8/2/2, 9,10/1,10/2,10/3, 11/1,11/2,11/3,12, 13/1,13/2,14,15,17, 18,19/1,19/2,20, 21,22,23/1,23/2,24</p>	98 Acres, 3 Kanal and 18 Marla	50

1	Bilha	Panchkula	Panchkula	Bilha 237	<u>33</u> 1,2/1,2/2,3/1,3/2, 4,5,6,7/1,7/2,8,9, 10,11,12/1,12/2,13/1, 13/2,14,15/1,15/2	98 Acres, 3 Kanal and 18 Marla	50
2.	Burj Kotian	Panchkula	Kalka	Burj Kotian 196	325 Min,326 to 331, 334,335,356 to 404,405 Min, 406 Min, 416 Min.	105 Acres	36
3.	Khanak	Bhiwani	Tosham	Khanak 34	<u>205</u> 20,21,22,23 <u>216</u> 3,4,6,7,8,13,14,15, 16,17,18,23,24,25. <u>217</u> 13,14,15,16,17,18, 23,24,25 <u>218</u> 6,11,15,16,19,20, 21, 22, 25 <u>219</u> 3,8,9,10,11,12,13, 17,18,19,20,21, 22,23 <u>220</u> 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25 <u>234</u> 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25 <u>235</u> 1,2,3,4,5,8/1,8/2,9, 10,11,12,13/1,13/2, 18,19,20,21,22, 23, <u>236</u> 1,2,5,6/1,6/2,9,10, 11,12,15,16,19,20, 21,22,25	<u>237.64</u> <u>Acres</u>	93

3.	Khanak	Bhiwani	Tosham	Khanak, 34	<u>237</u> 3,4,5,6,7,8,13,14, 15,16,17,18,23,24, 25 <u>238</u> 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,17, 18,19,20,21,22/1, 22/2,23/1,23/3,23/2, 24/1,24/2,25/1,25/2 <u>242</u> 2,3,4,5,6, <u>243</u> 3,4,5,6,7,8,15 <u>244</u> 1,2,5,6,9,10,11, 12,15,16 <u>245</u> 1,2,3,8,9,10,11, 12,13,17,18,19,20 <u>246</u> 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21, 22,23,24,25 <u>258</u> 1,2,3,4,5,6,7,8, 10	237.64 Acres	93
4.	Dadam	Bhiwani	Tosham	Dadam 36	<u>10</u> 4,5,6,7,14,15,16 <u>11</u> 1,2,3,4,5,6,7,8/1,8/2, 9/1, 9/2,10,11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19,20,23, 24/1, 24/2,25 <u>12</u> 10,13,14/1,14/2,15, 16,17,18, 23,24, 25/1,25/2 <u>13</u> 11,16,19/1,19/2,20, 21,22,25	81.1 Acres	

4.	Dadam	Bhiwani	Tosham	Dadam 36	<u>14</u> 21,22,23,24 <u>16</u> 1,2,7,8,9,10,11,12, 13,14,15 <u>17</u> 1,2,3,8/1,8/2,9,10, 11,12,13 <u>18</u> 1,2/1,2/2,5,6,9,10, 11,12,15,20 <u>19</u> 3,4,6,7,8,13,14,15, 16,17,18 <u>20</u> 4,5,6,7	81.1 Acres	
5	Naurangpur	Gurgaon	Gurgaon	Naurangpur- 157	<u>77</u> 16,17,18,22/1,22/2, 23/1,23/2,24,24/2, 25/1, 25/2 <u>14</u> 20,21,22 <u>74</u> 10,11 <u>75</u> 2,3,4,5,6,7,8,9,12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19,19/1, 20/1, 20/2,21/1,21/2,22, 23,24,25 <u>76</u> 16/1,16/2,17/1,17/2, 18/1,18/2,19/1,19/2, 20/1,20/2,21/1,21/2, 22,23,24,25 <u>85</u> 3,4,5,6,7,8,11 Min- East,12 Min-East, 13 Min North, 14/1 Min -North, 14/2 Min-North, 16 Min North, 19 Min North, 20 Min West	104 acres, 3 Kanal, 4 Marla	80

5	Naurangpur	Gurgaon	Gurgaon	Naurangpur- 157	<u>86</u> 1/1,1/2,2,3,4,5,6/1, 6/2,7/1,7/2, 8/1, 8/2,9,10, 11Min- North, 12/1, 12/2, 13,14,16,17,18,19/1, 19/2, Min- North, 20/1, Min North <u>87</u> 1/1,1/2,1/3,2,8,4,5, 6,7,8,9,10/1,10/2, 11,12,13,14,15,16, 17,18,19,2 <u>88</u> 1,2,9,10,11,20 <u>91</u> 110 Min-East	104 acres, 3 Kanal, 4 Marla	80
6	Indri Rewason	Mewat	Nuh	Indri 197	<u>173</u> 1/1,1/2,1/3,2,3,4, 5/1,5/2,6,7,8,9/2,9/1, 10,12/1, 12/2, 13/1, 13/2,14/1,14/2,15/1, 15/2,16,17,18,23, 24,25 <u>175</u> 4,5,6,15 <u>172</u> 1,2,3,4,7,8,9,10/1, 10/2, 11, 12, 13/1, 13/2, 14, 17, 18, 19, 20, 21,22,23, 24 <u>176</u> 1,2,3,8,9,10,11,12	372 Kanals	18
7	Indri Rewason	Mewat	Nuh	Rewason 108	<u>45</u> 3/2,7,8,13,14,15, 16,17/1,17/2,18/1, 18/2,19/1,22,23,24/1, 24/2, 25, <u>44</u> 20		

7	Indri Rewason	Mewat	Nuh	Rewason 108	<u>58</u> 1/2,2,3,4,5/1, 5/2, 6,7/1, 7/2, 8,9/1, 9/2, 9/3, 10, 11/1, 11/2, 12,13,14,15,16,17, 18,19, 23, 24 <u>59</u> 1,10 <u>60</u> 4		
8	Raisina	Gurgaon	Sohna	Raisina 184	<u>100</u> 22Min-East, 23 Min-East, 24 <u>125</u> 1 Min-East 2,3,4,5,6,7, 8,9/1,9/2,10,11,12/1, 12/2,13,14,15,16, 17/1,17/2,18,19,20, 21,22,23,24, 25/1, 25/2, 26 <u>126</u> 1,10,11,20,21 <u>129</u> 1,10 <u>130</u> 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	41 acres, 2 Kanal, 5 Marla	
9	Balla Majra	Yamuna Nagar	Chhachhrauli	BallaMajra 71	<u>10</u> 16,17,21,22,23,24,25 <u>13</u> 1 to 12	80 Acres, 0 Kanal, 11 Marla	16
10	Doiwala	Yamuna Nagar	Chhachhrauli	Doiwala 69	<u>16</u> 1,2 to 17,18/1,18/2, 19/1,19/2,20 to 25 <u>22</u> 1,2/1,2/2,2/3,3/1,3/2, 3/3,4/1,4/2,7,8, 9, 10/1,10/2,10/3,11/1, 11/2,12/1,12/2,13,14, 17/1,17/2,18,19,20/1, 20/2,21,22/1,22/2,23, 24/1, 24/2 <u>27</u> 1,2,3,4,5/1,5/2,6,7/1, 7/2,8,9,10/1,10/2,11 to 15,17,18,19,20		

11	Burjkotian Extension	Panchkula	Panchkula	Burjkotian Extension-196	174 Min, 152 Min, 118 Min, situated in between the link road on one side and the Ghaggar River Bank on other side	34 Acres	
12	Dhouj	Faridabad	Faridabad Stone Crushing Zone	Dhouj	<p>9</p> <p>7 Min, 8,9,10,11, 12, 13,14,Min,17 Min, 18,19,20,21,22,23, 24 Min</p> <p>10</p> <p>1 Min, 6 Min,7 Min, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14Min, 15 Min, 16 Min, 17 Min, 18, 19, 20, 21,22,23, 24Min, 25Min</p> <p>11</p> <p>5 Min,15 Min,16 Min, 25 Min</p> <p>12</p> <p>5 Min, 6Min</p> <p>13</p> <p>1,2,3,4,5,6 Min, 7 Min,8 Min, 9 Min,10Min, 15 Min,16 Min, 25 Min</p> <p>14</p> <p>1,2,3,4 min, 5 min, 6 min, 7min, 8,9,10, 11,12,13,14min, 15min,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,25</p> <p>15</p> <p>1,2 min,8 min,9 min, 10,11,12,13min, 17 min, 18min, 19,20,21,22,23, 24 min</p> <p>25</p> <p>1,2,3,4 min,7min, 8,9,10,11,12, 13min, 14 min,18min, 19,20, 21,22,23min</p>		

12	Dhouj	Faridabad	Faridabad Stone Crushing Zone	Dhouj	<p><u>26</u> 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22, 23,24,25</p> <p><u>27</u> 5 min,6 min,15 min, 16 min, 25 min</p>		
	Green Belt	<u>100 Meter</u> <u>wide around</u> <u>the stone</u> <u>crusher</u> <u>zone in</u> <u>addition to</u> <u>the stone</u> <u>crusher</u> <u>zone area</u>			<p><u>5</u> 24 min, 25min</p> <p><u>6</u> 21 min,22,23,24,25</p> <p><u>7</u> 21,22,23,24,25min</p> <p><u>8</u> 18min,19,20,21,22, 23 min</p> <p><u>9</u> 1,2,3,4,5min,6min, 7min,14 min,15min, 16, 17 min,24min,25</p> <p><u>10</u> 1min,2,3,4,5,6min, 7min, 14 min,15, 16, 17min,24min,25min</p> <p><u>11</u> 4min, 5min,6min, 7min,14min,15, 16 min, 17min, 24min, 25min</p> <p><u>12</u> 4min, 5min,6min, 7min, 14 min,15, 16 min, 17min</p> <p><u>13</u> 6min,7min,8min, 9min,10min,11,12, 13,14,15min,16min, 17min,18min,19min, 20min,24min,25min</p> <p><u>14</u> 4min,5min,6min, 7min,14min,15min</p>		

12	Dhouj	Faridabad	Faridabad Stone Crushing Zone	Dhouj	<p><u>26</u> 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22, 23,24,25</p> <p><u>27</u> 5 min,6 min,15 min, 16 min, 25 min</p>		
	Green Belt	<u>100 Meter</u> <u>wide around</u> <u>the stone</u> <u>crusher</u> <u>zone in</u> <u>addition to</u> <u>the stone</u> <u>crusher</u> <u>zone area</u>			<p><u>5</u> 24 min, 25min</p> <p><u>6</u> 21 min,22,23,24,25</p> <p><u>7</u> 21,22,23,24,25min</p> <p><u>8</u> 18min,19,20,21,22, 23 min</p> <p><u>9</u> 1,2,3,4,5min,6min, 7min,14 min,15min, 16, 17 min,24min,25</p> <p><u>10</u> 1min,2,3,4,5,6min, 7min, 14 min,15, 16, 17min,24min,25min</p> <p><u>11</u> 4min, 5min,6min, 7min,14min,15, 16 min, 17min, 24min, 25min</p> <p><u>12</u> 4min, 5min,6min, 7min, 14 min,15, 16 min, 17min</p> <p><u>13</u> 6min,7min,8min, 9min,10min,11,12, 13,14,15min,16min, 17min,18min,19min, 20min,24min,25min</p> <p><u>14</u> 4min,5min,6min, 7min,14min,15min</p>		

Schedule IV**Procedure for establishment and operation of stone crushing units in identified zones**

1. Existing Stone Crushing units working anywhere in the State of Haryana which do not fall in the areas as specified in Schedule-I or in identified zones as per Schedule-III will have to either shift after obtaining consent to establish (NOC) from Haryana State Pollution Control Board to a site meeting the siting criteria as per Schedule-I or at available sites in the identified crushing zones as per schedule-III or close down the unit without involving any claim against any Authority.
2. The following policy will be adopted for the consideration of the applicant for consent to establish (NOC) for setting up of crushing units in the identified zones as per Schedule- III in order of following priority:
 - 2.1 The first priority will be given for such crushing units which were ordered to be closed down or ordered to be shifted under the final orders of any Judicial Authority from their previous location anywhere in Haryana. But no stone crushing unit will be considered for resiting anywhere outside the district where they were previously operating according to the district boundaries as applicable on the date when the Judicial Orders restraining them came in force. Interse priority of such crushing units for resiting will be made according to the date when the Judicial order came in force. However, such stone crushing unit shall have to file a complete application for the consent to Establish (NOC) to the Haryana State Pollution Control Board for the issue of Consent to Establish (NOC) within a period of six months from the date be extended for another six months by the Haryana State Pollution Control Board. Any relaxation beyond this period for a further period of six months may be granted in public interest by the State Government by recording reasons. Any application for the Consent to Establish (NOC) which could not be accepted for want of availability of site will however be treated as not time barred and limitation period will commence form the date of availability of site within the identified zones.
 - 2.2 The second priority would be given for stone crushing unit for resiting which were closed by the Haryana State Pollution Control Board or the Government of Haryana, Environment Department on account of non- compliance of siting criteria norms. The time limit for such applications will be according to the criteria as specified in para 2.1 above.
 - 2.3 No units that shut down their stone crushing activities without any legal restraint order on them whether in the past or in the future would be considered for issue of any Consent to Establish (NOC) for being resited in any approved crushing zone unless they have already been so accommodated by the authority that was competent to issue consent to establish (NOC) here before.
 - 2.4 The applications for allotment of any available stone crushing sites within the identified zone will be made henceforth to the Haryana State Pollution Control Board in response to public advertisement notices published at least in two English and two Hindi daily newspaper widely circulated in the State of Haryana No. existing application shall be entertained and they shall have to apply afresh for response to the public advertisement.
 - 2.5 The applications for Consent to Establish (NOC) in identified zone will be decided by a Committee consisting of Chairman, Haryana State Pollution Control Board, Director , Environment and Member Secretary, Haryana State Pollution Control Board and the same will be headed by the Chairman, Haryana State Pollution Control Board.
 - 2.6 Consent to operate of any stone crusher unit given in the past or to be given in the future shall be non-transferable except for the case of natural transfer by inheritance.
 - 2.7 Any Consent to establish (NOC) issued before this notification by Haryana State Pollution Control Board whether for resiting in identified zone or isolated site shall be valid for a period not exceeding six months from the date of issue of this notification. However, if consent to establish (NOC) is issued after the issue of this notification it shall be valid for a period not exceeding nine months from the date of issue of any such fresh consent to Establish (NOC).

3. In case of any conflict between any existing statutory provisions and any administrative orders issued by any authority including Haryana State Pollution Control Board, the statutory provision will be applicable according to the settled law of India.
4. Irrespective of any other provisions above to the contrary no stone crushing unit whether within any approved crushing zone or outside the zone would be allowed to operate in violation of any other applicable legal restrictions statute and rules legislated and enforced or prescribed by the Competent Legislative Authority or the prescribing authority including the Town and Country Planning Department, Haryana whether in the past or in future. The issue of No Objection Certificate by the Haryana State Pollution Control Board will not be treated as any permission to violate any such statutory legal restrictions.
- 5.

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government Haryana,
Environment Department.

54319—C.S.—H.G.P., Chd.